यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - I, राज्य कर, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - I, राज्य कर, हरिद्वार के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एव श्री रवि भूषण व.ले.प द्वारा दिनांक 07.08.2018 से 18.08.2018 तक श्री एन.के सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री निखिल गोस्वामी एवं श्री बी0एम0 त्रिपाठी, एवं श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.09.2017 से 19.09.2017 तक श्री हीमांशू मणी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	36382.75
2016-17	39065.66
2017-18	10280.49

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**(+)**	**(-)**
2015-16	**लागू नही है**					
2016-17						
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - I, राज्य कर, हरिद्वार** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - I, राज्य कर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: माह ---------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह ---------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(अ)

प्रस्तर स-01 कर का न्यूनारोपण ₹ 16.23 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(e) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी थी|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –I राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच में पाया गया कि ब्यौहारी सर्वश्री यूनिवर्सल केस्मोल प्राइवेट लिमिटेड कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा ₹ 1,90,89,055/- की "Epoxy Resin" की बिक्री (केन्द्रीय एवं प्रांतीय) 5% की दर से की गयी थी|

क्योंकि उपरोक्त वस्तु "Epoxy Resin" उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, -2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं थी अत: उक्त बिक्री पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय था| इस प्रकार उपरोक्त वस्तु की कुल बिक्री ₹ 1,90,89,055/- पर अन्तरीय दर 8.5% से ₹ 16,22,570/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा साथ ही नियमानुसार ब्याज भी देय है |

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि संबन्धित वस्तु Resin है जो कि उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम -2005 की अनुसुची II(b) की प्रविष्टि संख्या 95 से आच्छादित है जिस पर कर देयता 5% की है|

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दिनांक 09 सितम्बर, 2016 को कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखंड द्वारा धारा 57 के अंतर्गत दिए गए निर्णय के अनुसार "Epoxy Resin" कलर कोटिंग के रूप में प्रयुक्त होने के कारण उस पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा|

अत: यह वस्तु उपरोक्त प्रविष्टि संख्या 95 से अच्छादित नहीं है एवं अवर्गीकृत की श्रेणी में आती है|

अत: प्रकरण को शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर स-01 **अर्थदण्ड का अनारोपन ₹ 2.13 लाख|**

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी ब्यौहारी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) **–** । राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री नवयुग पोलीस्टाँक सेन्टर, हरिद्वार द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ₹ 2134004/- को विलंब से जमा किया गया था|(विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से ₹ 213400/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो कि आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि अर्थदण्ड के सम्बन्ध में नियमानुसार जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्र स.	ब्यौहारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	कर की धनराशि (Rs)	आरोपनीय अर्थदण्ड @10% (Rs)
1.	सर्वश्री नवयुग पोलीस्टॉक सेंटर हरिद्वार टिन: 05009101729	2014-15	04/2014	20.05.2014	27.05.2014	545086	54508.6
			05/2014	20.06.2014	27.06.2014	836228	83622.8
			07/2014	20.08.2014	25.08.2014	752690	75269.0
TOTAL						**2134004**	**213400.4**

भाग 2(अ)

प्रस्तर स-02 अंकगणितीय त्रुटि के कारण ₹10.80 लाख के कर का अनारोपण|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी, ब्यौहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियो, लेखापुस्तकों ओर अन्य दस्तावेजो का परिक्षण कर संतुष्ट होने की दशा में लिखित आदेश द्वारा ब्यौहारी पर कर निर्धारित करेगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –I राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच में पाया गया कि ब्यौहारी सर्वश्री पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कर निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा ₹ 88,67,506/- के खाली पुराने प्लास्टिक ड्रम की प्रांतीय बिक्री की गयी जिसपर 13.5% की दर से ₹11,97,113/- का कर आरोपणीय था परन्तु कर निर्धारण आदेश में उक्त वस्तु पर 13.5% की दर से मात्र ₹ 1,17,113/- का कर ही आरोपित किया गया था|

इस प्रकार उक्त प्रकरण में अंकगणितीय त्रुटि के कारण ₹ 10,80,000/- का कर आरोपित नहीं किया जा सका|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त Calculation चेक करते हुए यदि calculation mistake है तो उसे Rectify करते हुए अवगत करा दिया जायेगा।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
01/2009-10	-	01	-
12/2011-12	-	01	-
02/2012-13	-	01	-
31/2014-15	01	01,02,03,04,05	-
03/2015-16	-	01,02	-
31/2016-17	01,02	01,02,03,04	-
70/2017-18	-	01,02,03,04,05,06	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - I, राज्य कर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री अनुराग मिश्रा मिश्रा	डिप्टी कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - I, राज्य कर, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र